आवश्यक

संख्या:12/2021/713/12-2-2021-309/2007 टी0सी0

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 05 मार्च, 2021

विषय: रबी 2020-21 मौसम में क्राप कटिंग प्रयोगों को CCE Agri App द्वारा समय से पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि फसल कटाई प्रयोगों का सम्पादन राजस्व कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक मौसम में कराया जाता है। फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता का अनुमान आंकलित किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के दैविक आपदाओं से फसल की उपज में हुई क्षति की प्रतिपूर्ति भी इन्ही आंकड़ो का उपयोग करते हुए सुनिश्चित करायी जाती है।

2. उल्लेखनीय है कि आगामी रबी 2020-21 मौसम में फसल कटाई प्रयोगों का सम्पादन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुनिश्चित कराया जाना है। फसल कटाई प्रयोगों से संबंधित सूचनाओं को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा बनाये गये CCE Agri App पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में CCE Agri App के वर्जन V1.3.26 को अपडेट कर दिया गया है तथा समय-समय पर CCE Agri App को अपडेट किया जाता रहेगा। एप्प से कटाई प्रयोगों को सम्पादित कराने हेतु प्रदेश के सभी राजस्व कार्मिकों को राजस्व परिषद द्वारा पूर्व में ही स्मार्ट-फोन उपलब्ध कराते हुए सभी राजस्व कार्मिकों को इसका प्रशिक्षण भी समय से दिया जा चुका है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद में कार्यरत भू-लेख अधिकारी/सहायक भू-लेख अधिकारी एवं तहसील स्तर पर तहसीलदार को निर्देशित करें कि वे क्राप कटिंग प्रयोगों के सम्पादन से संबंधित सभी राजस्व कार्मिकों के स्मार्ट-फोन पर नये वर्जन V1.3.26 को अपडेट करायें। साथ ही भविष्य में भी एप्प को अपडेट करते हुए भारत सरकार व शासन की मंशा के अनुरूप समय से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रबी फसलों की कटाई कराते हुए सभी कटाई प्रयोगों से संबंधित सूचनाओं को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये एप्प पर अनिवार्य रूप से अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:12/2021/713(1)/12-2-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. डा0 आशीष कुमार भूटानी, अपर सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी0एम0एफ0 बी0वाई0, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश शासन।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त बीमा कम्पनियॉ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।